# प्रेस नोट दिनांक 25.3.2019

## निर्वाचन संचालन शाखा

## मतपत्रों में मुद्रित करने हेतु अभ्यर्थियों के फोटोग्राफ लेने बाबत।

- आयोग के पत्र दिनांक 19.3.2019 द्वारा मतपत्रों में अभ्यर्थियों के फोटोग्राफ मुद्रित करने बाबत पूर्व निर्देशों में **संशोधन** किया गया है । **पूर्व में** अभ्यर्थियों से एक निर्धारित मापदण्ड के अतिरिक्त फोटो मतपत्रों में मुद्रण हेतु लेने के निर्देश थे । अभ्यर्थी द्वारा फोटोग्राफ न दिए जाने की स्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उसे एक लिखित नोटिस दिया जाना था । नोटिस दिए जाने के बावजूद यदि अभ्यर्थी द्वारा फोटोग्राफ प्रस्तुत न करने पर मतपत्र में उस अभ्यर्थी का फोटो मुद्रित नहीं किया जाता था ।

  आयोग के पत्र **दिनांक 19.3.2019 द्वारा** निर्देशत किया गया है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी से एक अतिरिक्त (identical तथा आयोग के मापदण्ड के अनुसार) फोटोग्राफ प्राप्त किया जाए । यदि अभ्यर्थी द्वारा अतिरिक्त फोटोग्राफ नहीं दिया जाता है तो नाम निर्देशन पत्र में चस्पा किए गए फोटोग्राफ को ही scan कर के मतपत्र में मुद्रित किया जाए ।